आदेश पत्रिका प्रकरण संख्या 02/2018

दिनांक आदेश या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
31.01.2018	यह वाद पत्र वादी की ओर से महेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो, प्ररतुत तलवाना नोटिस द्वारा तलबी प्रतिवादीगण की जारी होकर पत्रावली दिनांक 31.01.2018 को पेश हो।
31/1/18	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। जारी नोटिस लौटकर प्राप्त नहीं हुआ। इन्तजार नोटिस हेतु दिनांक 22/2/18 को पेश हो।
22/2/18	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। जारी नोटिस लौटकर प्राप्त हुऐ। अवलोकन करने पर अप्रार्थी क्र० 1,4,8,9,10 12 व 16 को नोटिस तामील। शेष अप्रार्थी सं० 2,3,5,6,7,11 को तामील भाई को देकर करवाई गई। इनको बार-बार आवाजे लगवाई गई। किन्तु उपस्थित नहीं। इन्तजार पक्षकार हेतु दिनांक 9/4/18 को पेश हो।
9/4/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते कोर्ट कैम्प जयचन्दपुरा में दिनांक 28/05/2018 को पेश हो।
सलीमखान उ मेवाँ, रुकमा रवाँ, ... इरवां, न्याय/कतरवां, ... मुद्दीन	28/5/18 - पत्रावली आज दिनांक को कैम्प न्याय आपके द्वार जयचन्दपुरा में प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी सं० 1,2,3, 4,7,9 व 16 उपस्थित। उभय पक्षों

उपस्थित
सातार
ईस्लामखाँ
सयदरखाँ
दिलसादखान
रजाक खाँ
अमीन खां
इस्माईल खां

को सुनवाई लोक अदालत की आवश्यकता से की जाई सुनाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते हो

अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177 R.T. Act को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गंगारामगंज को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम लाखीपुरा तहसील गंगारामगंज (जयपुर) के ख०न० 216 रकबा 1.10 हे० मी० में से पश्चिमी दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण 8 फिट चौड़ाई अनुसार तथा ख०न० 217 रकबा 1.19 मे से पूर्व दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण 8 फुट चौड़ाई अनुसार (ख०न० 217 के उत्तरी पूर्वी कार्नर तक) एवं उसके बाद 16 फिट चौड़ाई अनुसार ख०न० 195 तक राज्य हित में रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तदानुसार तहसीलदार गंगारामगंज राजस्व रिकार्ड में अमल करे।

पत्रावली के कार्य पूर्ण होकर नम्बर से खारिज हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मय आदेश खुले आम सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
गंगारामगंज